बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या–01 / स्था0–09–12 / 2024 / ..... / आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–

बिहार सेवा सहिंता के नियम–227 एवं 248 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री आदित्य कुमार सिंह, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, किशनगंज (HRMS Employee Id: 40232714) को स्वयं की शादी हेतु दिनांक–17.11.2026 से 13.12.2026 तक कुल 27 (सताईस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त 27 (सताईस) दिनों की उपार्जित छुट्टी के उपरान्त उनके पक्ष में कुल 62 (बासठ) दिनों का उपार्जित छुट्टी आदेय होगा।

3. श्री सिंह को निदेश दिया जाता है कि उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के आलोक में वित्त विभागीय परिपत्र सं0–5632 दिनांक–26.06.2015 में निहित शर्तों के अधीन प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन के साथ निश्चित रूप से वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को वांछित कागजात उपलब्ध करायेंगे।

4. इसमें प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(पंकज कुमार कमल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–01 / स्था0–09–12 / 2024 / ..... / आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, किशनगंज / कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक–PCFC/DMD/DMS/2024/0012/1698(23) दिनांक–23.10.2026 के प्रसंग में / श्री आदित्य कुमार सिंह, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–01 / स्था0–09–12 / 2024 / 4123 / आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–29-10-26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / विभागीय आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.X.26
सरकार के उप सचिव

D:\2026\Chandan Sir\ADMO\Notification\2026-10-28- (Adity kr) EL Notification.doc

41